

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 19(1)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 20/6/16

—:आज्ञा:—

माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंषा पर माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2013 में शेष रहे अभ्यर्थियों में से Ms.Preeti Singh, मेरिट संख्या 169 को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 26 के अनुसार 2 वर्ष के परिवीक्षाधीन पर वेतन श्रृंखला 27700-700-33090-920-40450-1080-44770 में राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

U.S. Singh
20/6/16
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 5276 दिनांक 20.05.2016 के क्रम में।
8. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।
10. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को अपलोड करने बाबत।
12. संबंधित व्यक्ति/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Awang
20.06.16
संयुक्त शासन सचिव